

# 1 संस्थात्मक ढाँचा

## 1.1 राज्य कार्यकारिणी समिति

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 22(2)(जी) के अन्तर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति बाढ़ आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों का समन्वय करेगी। उक्त समिति बाढ़ आपदा प्रबंधन के संबंध में राज्य सरकार के किसी भी विभाग या किसी प्राधिकार या निकाय को आवश्यक निर्देश दे सकेगी।

## 1.2 नोडल विभाग

बाढ़ आपदा प्रबंधन का नोडल विभाग आपदा प्रबंधन विभाग होगा तथा विभाग के सचिव/प्रधान सचिव राज्य स्तर पर राज्य कार्यकारिणी समिति के निदेशों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

## 1.3 राज्य के अन्य विभाग

बाढ़ आपदा प्रबंधन में राज्य सरकार के संबंधित विभागों की भूमिका होती है। सभी विभाग अपने-अपने कार्य क्षेत्र में राज्य एवं जिला स्तर पर बाढ़ आपदा प्रबंधन में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। जिन विभागों/एजेन्सियों की बाढ़ आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका है वे निम्न प्रकार हैं:—

1. आपदा प्रबंधन विभाग
2. कृषि विभाग
3. गृह विभाग
4. जल संसाधन विभाग
5. लघु जल संसाधन विभाग
6. मानव संसाधन विभाग
7. उर्जा विभाग
8. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
9. स्वास्थ्य विभाग
10. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
11. ग्रामीण विकास विभाग
12. ग्रामीण कार्य विभाग.
13. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
14. भवन निर्माण विभाग
15. पथ निर्माण विभाग
16. समाज कल्याण विभाग
17. सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय
18. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

19. बिहार राज्य खाद्य निगम
20. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
21. पर्यावरण एवं वन विभाग

#### 1.4 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 30 (2) (xvi) के अनुसार जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार गठित है जिससे संबंधित अधिसूचना सं० 1502 दिनांक 13.6.08 अनुलग्नक 3 पर संलग्न है। उक्त प्राधिकार बाढ़ आपदा के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। जिला प्रशासन के मुखिया होने के नाते आपदा प्रबंधन का निर्देश एवं नियंत्रण (Command and Control) जिला पदाधिकारी के हाथों में होगा जो सरकार की नीतियों, मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश के आलोक में कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार जिला पदाधिकारी “घटना कमाण्डर” (Incident Commander) के रूप में कार्य करेंगे अथवा आवश्यक होने पर इस उत्तरदायित्व को किसी अन्य पदाधिकारी को भी सौंप सकेंगे। जिले में राज्य सरकार एवं आवश्यकतानुसार केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी तथा एजेन्सियों “घटना कमाण्डर” (Incident Commander) -एवं जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार आपदा प्रबंधन का कार्य करेंगे। इसी प्रकार जिला स्तर से नीचे की तमाम प्रशासनिक ईकाईयों यथा अनुमंडल एवं प्रखंड, जो क्रमशः अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती हैं, वे अपने कार्य क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के लिए सभी विभागों के कार्यों का समन्वय करेंगी। अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर Incident Command टीम का गठन किया जाएगा जो अपने कार्य क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगी।